A001-2022-2023-001-R-1-10-2022-676

प्रेषक,

राम केवल
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक- 29 अप्रैल, 2022

विषयः- राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र के संचालन/ वेवसाइट डेवलपमेंट एवं संचालन तथा टेलीफोन व सीयूजी बिलों के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त के पत्र संख्या 3069/रा0आ0का0/अनु0पत्रा0/2022-23 दिनांक **13.04.2022** द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र के संचालन, एन0आई0सी0 के माध्यम से कराए जा रहे वेवसाइट डेवलमेंट का कार्य एवं संचालन तथा टेलीफोन व सीयूजी नम्बरों के बिलों के भुगतान पर होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु **रू0 4,46,92,680/- (रू0 चार करोड़ छियालीस लाख बानबे हजार छः सौ अस्सी मात्र)** की धनराशि निम्न् विवरण/शर्तों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

अ- राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र हेतु-

क्र0सं0	**व्यय किये जाने वाले मद/कार्य का विवरण**	**वार्षिक आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रू0 में)**
1	इन्टरनेट नेटवर्क के लिए लीज लाइन	1,50,000/-
2	10 टेलीविजन सेट हेतु डी0टी0एच सेवा	36,000/-
3	विडियो कान्फ्रेसिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर/जूम ऐप की सेवा	1,25,000/-
4	कन्ट्रोलरूम हेतु आवश्यक उपकरण यथा क़म्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, फोटोकापियर आदि तथा इनके संचालन व अनुरक्षण पर होने वाला व्यय	7,00,000/-
5	टोलफ्री नं0 1070 पर 24'7 संचालित कॉल सेन्टर पर प्रत्येक माह होने वाला व्यय	50,00,000/-
6	राहत आयुक्त कार्यालय एवं कन्ट्रोलरूम के माध्यम से किये जा रहे कार्यों का सोशल मीडिया साइट्स पर प्रचार प्रसार किये जाने हेतु सोशल मीडिया सेल के संचालन पर होने वाला व्यय	15,00,000/-
7	गत वित्तीय वर्ष में यूपीडेस्को एवं अन्य फर्मों/कम्पनियों के अवशेष देयता का भुगतान	57,00,000/-
	कन्ट्रोलरूम संचालन हेतु समय-समय पर होने वाले अन्य विविध व्यय	10,00,000/-
	कुल धनराशि	1,42,11,000/-

ब- राहत आयुक्त कार्यालय की वेवसाइट डेवलमेंट एवं संचालन हेतु-

क्र0सं0	**व्यय किये जाने वाले मद/कार्य का विवरण**	**वार्षिक आधार पर**

		होने वाला अनुमानित व्यय (रू0 में)
1	वेब पोर्टल हेतु क्लाउड पर स्पेस एवं अन्य हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का आवंटन	12,00,000/-
2	एस0क्यू0एल0 डेटाबेस लाइसेंस	2,00,000/-
3	राहत वेबसाइट की वार्षिक सिक्यूरटी आडिट	3,00,000/-
4	एस0एस0एल0 सर्टीफिकेट	15,000/-
5	राहत पोर्टल के माध्यम से नागरिकों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर एस0एम0एस0 एलर्ट भेजने हेतु एस0एम0एस0 सर्विस	2,00,000/-
6	राहत पोर्टल के विभिन्न माड्यूल में नागरिकों के आधार ऑथेन्टिकेशन हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि0 को किया जाने वाला भुगतान	20,00,000/-
7	आवश्यकतानुसार एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जाने वाले अन्य उपकरण कम्प्यूटर/लैपटाप, प्रिंटर, स्कैनर तथा अन्य तकनीकी सपोर्ट स्टॉफ आदि उपलब्ध कराया जाना	5,00,000/-
8	राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के अपग्रेडेशन पर होने वाला व्यय	1,25,00,000/-
9	एन0आइर्0सी0 को उपलब्ध कराये गये मैनपावर हेतु	18,50,000/-
	कुल धनराशि	**1,87,65,000/-**

स- - राज्य स्तरीय ई0ओ0सी के सुद्दणीकरण हेतु भारत संचार निगम लि0 के 945441 एवं 945444 सीरीज के सी0यू0जी0 नम्बर एवं 0522-2235121 पर टोल-फ्री नम्बर 1070 तथा 0522-2217721 पर संचालित पी0आर0आई0 लाइन के भुगतान हेतु

क्र0सं0	टेलीफोन नं0	मासिक भुगतान की जाने वाली धनराशि (लगभग) रूपये	माह अप्रैल 2022 से माह मार्च 2023 (कुल 12 माह) तक की अनुमानित धनराशि, रूपये में
1	0522-2235121	390/-	4,680/-
2	0522-2217721	16,000/-	1,92,0000/-
3	1801-180-5222 (सी0यू0जी0)	9,60,000/-	1,15,20,000/-
		योग	**1,17,16,680/-**

(रू0 1,42,11,000/- + 1,87,65,000/- + 1,17,16,680/-) रू0 4,46,92,680/-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(5) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 4,46,92,680/- (रु0 चार करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार छह सौ अस्सी मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- A001-2022-2023-001-R-1-10-2022-676 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।

3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।

9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

12:01 PM

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-02/05/2022

प्रेषण संख्या:- 676
आवंटन आदेश संख्या:- 001-676
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	44692680 44692680	44692680 44692680
	योग	वर्तमान प्रगामी	44692680 44692680	44692680 44692680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार छ: सौ अस्सी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार छ: सौ अस्सी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।